[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 9 /2018 – एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी, 2018

सा.का.नि. ..... (अ) एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उन वस्तुओं की अंतर्राज्जीय आपूर्ति, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उन टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते है जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर) की अनुसूची iv में विनिर्दिष्ट उतने केन्द्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जितना की वह ऐसे वस्तुओं की आपूर्ति पर आपूर्तिकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार गणना की गई राशि से अधिक होता है ।

सारणी

क्र.सं.	**अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का विवरण**	**दर**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1.	8703	1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त पेट्रोल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) संचालित मोटर वाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश मोटार वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम(1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	18%
2.	8703	1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी की इंजन क्षमता वाले पुराने और प्रयुक्त डीज़ल संचालित मोटर वाहन. स्पष्टीकरण- इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटर वाहनों का विनिर्देश मोटार वाहन अधिनियम, 1988 और इसके तहत बनाए गए नियम(1958 का 1988) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा	18%

3.	8703	पुराने और इस्तेमाल किए गए मोटरवाहन जिनके इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो, जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी व्हीकल (एसयूवी) के रूप में जाना जाता हो, जिनमें यूटिलीटी व्हीकल्स भी आते हों । स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए, एसयूवी में वे मोटरवाहन भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मीलीमीटर से अधिक हो और जिनका ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मीलीमीटर और इससे अधिक हो ।	18%
4.	87	सभी पुराने और इस्तेमाल किए गए वाहन, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 में उल्लिखित वाहनों से भिन्न	12%

स्पष्टीकरण –इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

i. ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामले में जिसमें की उक्त वस्तु के मूल्यह्रास का दावा किया है, आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो कि ऐसी वस्तु की आपूर्ति के एवज में प्राप्त प्रतिफल और आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 32 के अंतर्गत आपूर्ति की तारीख को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यह्रास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और

ii. अन्य मामलों में आपूर्तिकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन आपूर्तिकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, की धारा 2 की उपधारा (63) में परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित है या मूल्य वर्धित कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो I

[फाइल संख्या 354/1/2018-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार